न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 117 / 2024 **दायर दिनांक: 29.08.2024**

उनवान

1. रामगोपाल पि. रामनारायण जाति कुल्मी नि. ओसाव तहसील सुनेल

प्रार्थी

बनाम

1. संजुबाई पत्नी बद्रीलाल जाति कुल्मी नि. ओसाव तहसील सुनेल
2. बद्रीलाल पि. रामनारायण जाति कुल्मी नि. ओसाव तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

अभिभाषक प्रार्थी – श्री अशोक पाटीदार

अभिभाषक अप्राथी सं. 1 – श्री महेन्द्रसिंह जैन

अप्राथी सं. 2 – पैरोकार सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

आदेश दिनांक : 21.01.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम ओसाव तहसील सुनेल. जिला झालावाड़ राजस्थान के ख.नं. 1913/71 ख.नं. 1914/553 व ख.नं. 1916/557 का प्रार्थी खातेदार कृषक है। इन्ही ख.नं. के सेकरीकेशन से बने अशुद्ध व गलत नक्शे को शुद्ध करवाने बावत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। यह कि प्रार्थी के पैरा नम्बर 1 में दर्ज खसरा नम्बरान व अप्रार्थी 1 व 2 के खातेदारी के ख.नं. 1925/557, ख.नं. 683 व ख.नं. 1924/71 पास–पास स्थित है जो पूर्व के मूल ख.नं. 71 ख.नं. 553 व ख.नं. 557 के भाग है। यह कि उपरोक्त कृषि आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी से पूर्व रामनारायण आत्मज किशनलाल के खातेदारी की रही है। जिसको प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा जरिये दान प्राप्त किया गया है वक्त दान से ही साबित ख.नं. 71 ख.नं. 553, ख. नं. 557 में से प्रार्थी एवं अप्रार्थी के हिस्से मुताबिक बंटवारा कर नामान्तरण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

साथ नक्शा तरमीम कर नक्शा संलग्न कर दिया गया था और इस नक्शे मुताबिक ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह कि सैकरीकेशन करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जॉच एवं मौके की स्थिति देखे बगेर प्रार्थी के ख.नं. 1913/71, ख.नं. 1914/553 व ख.नं. 1916/557 की नक्शे में गलत तरमीम कर दी है। जिसको शुद्ध करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। इस कारण गलत तरमीम को निरस्त कर नक्शे को सही किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थी की कृषि आराजी ग्राम ओसाव तहसील सुनेल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ओसाव के राजस्व नक्शे में ख.नं. 1913/71, ख.नं. 1914/553 व ख.नं. 1916/557 की गलत तरमीम को निरस्त कर नक्शे में सही तरमीम करने के आदेश अप्रार्थी नं. 3 को प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं 1 में वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड अनुसार है। अस्वीकार है कि वर्णित खसरा नम्बरान सेग्रीकेशन से अशुद्ध नक्शे में बने हो इस कारण प्रार्थी ने गलत तथ्य प्रस्तुत किये है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 भ्रामक अंकित की गई है जो स्वीकार नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र चरण 3 में वर्णित तथ्य आराजी रामनारायण आत्मज किशनलाल के खातेदारी की रही होना स्वीकार है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं 4 गलत होने से अस्वीकार है। गलत है कि सेग्रीग्रेशन करते समय ख.नं. 1913/71, 1914/553 व ख.नं. 1916/557 की नक्शे में गलत तरमीम हुई हो। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण 5 में वर्णित तथ्य कानूनी है। **विशेष कथन** — यह कि धारा 136, 131 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में वो ही त्रुटिया सुधारी जा सकती है। जो बाद में इन्द्राज के दौरान हुई हो। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नही हुआ है। सेग्रीग्रेशन के दौरान राजस्व रेकार्ड व नक्शे में त्रुटी होने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का कथन गलत है। यह कि अप्रार्थी नं. 3 तहसीलदार सा. सुनेल द्वारा प्रस्तुत जवाब व मौका रिपोर्ट में दानपत्र पुश्त व आनलाईन दर्ज विवरण दिया है। दानपत्र पुश्त राजस्व रिकार्ड का भाग नही है। अप्रार्थी नं. 3 द्वारा यह भी नहीं अंकित किया कि त्रुटि सेग्रीग्रेशन के दौरान हुई हैं। यह कि प्रार्थी ने गलत एवं असत्य आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य ऐसे नहीं है जो धारा 131 व 136 एलआर एक्ट के प्रावधानो को आकर्षित करते हो। शेष कारण वक्त बहस निवेदन किये जावेगे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जावें।

3. पैरोकार सरकार द्वारा पत्रांक 695 दिनांक 06.11.2024 से जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि जमाबंदी संवत 2070–73 में ख.नं. 71 रकबा 6–19 बीघा रामनारायण पि. श्रीकिशन जाति कुल्मी के खाते में दर्ज थी जिसका दानपत्र के द्वारा विभाजन किया गया। नामा. स. 1421 में खातेदार रामगोपाल पि. रामनारायण जाति कुल्मी के हिस्से में 4–04 बीघा भूमि दर्ज की गई और नामा. संख्या 1425 में खातेदार बद्रीलाल पि. रामनारायण के हिस्से में 2–15 बीघा भूमि दर्ज की गई। जमाबंदी संवंत 2070–73 में ख.नं. 553 रकवा 8–10 बीघा रामनारायण पि. श्रीकिशन जााति कुल्मी के खाते में दर्ज थी जिसका दानपत्र के माध्यम से विभाजन किया गया। नामा. सं. 1421 से खातेदार रामगोपाल पि. रामनारायण जाति कुल्मी के हिस्से में 4–05 बीघा भूमि दर्ज की गई और नामा. स. 1427 से खातेदार संजूबाई पत्नि बद्रीलाल जाति कुल्मी के हिस्से में 4–05 बीघा भूमि दर्ज की गई। ख.नं. 357 रकवा 3–19 बीघा रामनारायण पि. श्रीकिशन के खाते में दर्ज था। जमाबंदी 2070–73 अनुमार जिसका दानपत्र के माध्यम से विभाजन किया गया। नामा. संख्या 1421 खातेदार रामगोपाल पि. रामनारायण जाति कुल्मी के हिस्से में 3–13 बीघा भूमि दर्ज की गई और नामा. सं. 1427 से खातेदार संजूबाई पत्नि बद्रीलाल जाति कुल्मी के हिस्से 0–06 बीघा भूमि दर्ज की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 379, 388, 386, 472, खसरा नक्शा दिनांक 20.07.2023, दिनांक 20.05.2024, नामा.जिल्द का नक्शा दिनांक 20.07.2018, जमाबंदी सं. 2070–73 का खाता सं. 327, 324, 386 व नक्शा ट्रेस दिनांक 11.06.2025 पेश की।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में पटवारी हल्का ओसाव की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 379, 388, 386, 472, 215, लटठा नक्शा की छायाप्रति, नामा.सं. 1421 दिनांक 20.07.2018, नामा.सं. 1425 दिनांक 20.07.2018, नामा.सं. 1427 दिनांक 20.07.2018 पेश की।

6. अभिभाषक प्रार्थी, अभिभाषक अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम ओसाव की आराजी मूल ख.नं. 71 रकबा 6–19 बीघा, ख.नं. 553 रकबा 8–10 बीघा व ख.नं. 557 रकबा 3–19 बीघा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता रामनारायण पि. श्रीकिशन के खाते दर्ज रिकार्ड थी। खातेदार रामनारायण द्वारा उक्त आराजी में से जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 14.06.2018 ख.नं. 71 रकबा 6–19 बीघा में से 4–04 बीघा, ख.नं. 553 रकबा 8–10 बीघा में से 4–05 बीघा व ख.नं. 557 रकबा 3–19 बीघा में से 3–13 बीघा भूमि प्रार्थी रामगोपाल को प्राप्त हुई थी। इस भूमि में संतरे का बगीचा लगा हुआ है जिसका दानपत्र में भी अंकन है जो जरिये नामा.सं. 1421 दिनांक 20.07.2018 से प्रार्थी के खाते दर्ज हुई। उक्त नामा. पंजिका के पुश्त भाग पर दान किये गये खसरा का खसरा नक्शा बना हुआ है जिससे स्पष्ट है कि ख.नं. 71 में से उत्तरी पश्चिमी में 2–10 बीघा एवं पूर्वी दक्षिणी दिशा की 1–14 बीघा भूमि, ख.नं. 557 में से उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी हिस्सा छोडकर शेष सम्पूर्ण खसरा एवं ख.नं. 553 में से 2–10 बीघा पश्चिम दिशा एवं 2–05 बीघा पूर्वी दक्षिण दिशा का हिस्सा प्रार्थी को दे दिया गया था। इसके बाद शेष बची आराजी में से खातेदार रामनारायण द्वारा जरिये दानपत्र संजुबाई को ख.नं. 553 में से 4–05 बीघा उत्तरी–मध्य दिशा एवं ख.नं. 557 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 14:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

से 0–06 पूर्वी दिशा की भूमि दी गई थी जिनके नामा.सं. 1427 दिनांक 20.07.2018 दर्ज किया गया। उक्त नामा. पंजिाक के पुश्त भाग पर अंकित खसरा नक्शानुसार ख.न. 553 में से पश्चिमी व पूर्वी दक्षिणी भाग की प्रार्थी की भूमि को छोडकर शेष 4–05 भूमि संजुबाई को दी गई थी। ख.नं. 557 में से प्रार्थी की भूमि को छोडकर उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी हिस्सा 0–06 बीघा भूमि संजुबाई को दी गई थी। इसी प्रकार खातेदार रामनारायण द्वारा ख.नं. 71 में से 2–15 बीघा भूमि दानपत्र से बद्रीलाल को खाते दर्ज करवाई गई थी जिसका नामा.सं. 425 दिनांक 20.07.2018 दर्ज किया गया है। नामा.सं. 425 के पुश्त भाग पर बने खसरा नक्शा से भी यह स्पष्ट है। लटठा नक्शा में तरमीम भी उक्तानुसार की जानी थी लेकिन इसी दौरान तहसील सुनेल के आनलाईन का कार्य शुरू होने से सेग्रिकेशन के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा बिना नामा. पंजिका के पुश्त पर बने खसरा नक्शा एवं दानपत्र में अंकित दिशा को देखे बिना गलत तरीके से तरमीम कर दी गई है जिसका राजस्व कार्मिको को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है और मौके पर दान खसरो के अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्व कार्मिको द्वारा राजस्व नक्शे में की गई उक्त त्रुटी को दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

7. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि धारा 136 व 131 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व नक्शे में हुई ऐसी त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सकता है जो सेंटलमेंट के दौरान या फर्द बदर बनाते समय हुई है। सेग्रिकेशन के दौरान प्रार्थी के नक्शे में कोई त्रुटी नहीं हुई है। नामा. पंजिका के पुश्त भाग पर पटवारी द्वारा बनाया खसरा नक्शा राजस्व रिकार्ड का हिस्सा नहीं होने से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

8. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर [illegible] के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि [illegible] दर्ज किये गये नामान्तरणों की पंजिका के पुश्त भाग पर अंकित खसरा नक्शा और आनलाईन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

नक्शे दोनो भिन्न है। सेग्रिगेशन के समय राजस्व कार्मिको से आनलाईन नक्शे में गलत तरमीम हो गई है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

9. अभिभाषक प्रार्थी, अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम ओसाव की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 327 व 324 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 71 रकबा 6–19 बीघा, ख.नं. 553 रकबा 8–10 बीघा व ख.नं. 557 रकबा 3–19 बीघा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के पिता रामनारायण पि. श्रीकिशन के खाते दर्ज रिकार्ड थी। खातेदार रामनारायण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 14.06.2018 से वादग्रस्त आराजी ख.नं. 71 रकबा 6–19 बीघा में से 4–04 बीघा, ख.नं. 553 रकबा 8–10 बीघा में से 4–05 बीघा व ख.नं. 557 रकबा 3–19 बीघा में से 3–13 बीघा भूमि प्रार्थी रामगोपाल को दान की गई। दानपत्र के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी को दान की गई इस भूमि में संतरे का बगीचा लगा हुआ था। उक्त आराजी जरिये नामा.सं. 1421 दिनांक 20.07.2018 से प्रार्थी के खाते दर्ज हुई। उक्त नामा. पंजिका के पुश्त भाग पर दान किये गये खसरा का खसरा नक्शा बना हुआ है जिससे स्पष्ट है कि ख.नं. 71 में से उत्तरी पश्चिमी में 2–10 बीघा एवं पूर्वी दक्षिणी दिशा की 1–14 बीघा भूमि, ख.नं. 557 में से उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी हिस्सा छोडकर शेष सम्पूर्ण खसरा एवं ख.नं. 553 में से 2–00 बीघा पश्चिम दिशा एवं 2–05 बीघा पूर्वी दक्षिण दिशा का हिस्सा प्रार्थी को दान में दिया गया था। नामान्तरण पंजिका पर बनाये गये खसरा नक्शानुसार भी राजस्व कार्मिको को लटठा नक्शे में तरमीम की जानी चाहिए थी लेकिन प्रार्थी द्वारा पेश वर्तमान आनलाईन नक्शे में दानपत्र के अंकन से भिन्न तरमीम हो रखी है।

प्रार्थी द्वारा पेश एक अन्य दानपत्र के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी को दान किये जाने के बाद शेष बची भूमि में से रामनारायण द्वारा जरिये दानपत्र संजुबाई को ख.नं. 553 में से 4–05 बीघा में से पूर्वी दक्षिण दिशा एवं ख.नं. 557 में से 0–06 पूर्वी दिशा की भूमि प्रार्थी सं. 1 को दान की गई थी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में दानपत्र के आधार पर नामा.सं. 1425

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 20.02.2024 10:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 20.07.2018 एवं अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में नामा.सं. 1427 दिनांक 20.07.2018 दर्ज किये गये। उक्त नामा. सं. 1427 की पंजिका के पुश्त भाग पर अंकित खसरा नक्शानुसार ख.न. 553 में से पश्चिमी व पूर्वी दक्षिणी भाग की प्रार्थी की भूमि को छोडकर शेष 4–05 भूमि संजुबाई को दी गई थी। ख.नं. 557 में से प्रार्थी की भूमि को छोडकर उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी हिस्सा 0–06 बीघा भूमि संजुबाई को दी गई थी। इसी प्रकार खातेदार रामनारायण द्वारा ख. नं. 71 में से 2–15 बीघा भूमि दानपत्र से बद्रीलाल को खाते दर्ज करवाई गई थी जिसका नामा.सं. 425 दिनांक 20.07.2018 दर्ज किया गया और दानपत्र के अनुसार पुश्त भाग पर खसरा नक्शा भी बनाया गया।

10. प्रार्थी द्वारा पेश दानपत्रो, नामा.सं. 1423, 1425 व 1427 की पंजिका के पुश्त भाग पर बनाये गये नक्शे तथा वर्तमान आनलाईन के नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व नक्शे में राजस्व कार्मिको द्वारा गलत तरमीमे की गई है जिसे तहसीलदार सुनेल द्वारा भी अपने जवाब व रिपोर्ट दिनांक 06.11.2024 में स्वीकार कर दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। राजस्व कार्मिको द्वारा राजस्व नक्शे में रजिस्टर्ड दानपत्रों में अंकित दिशा एवं नामान्तरण पंजिका के पुश्त भाग पर बनाये गये खसरा नक्शा के विपरीत बिना किसी प्राधिकार के तरमीम की गई है जिसे उभयपक्ष की सहमति से दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। **राजस्व विभाग जयपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी परिपत्रो के अनुसार सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व नक्शे में की गई त्रुटीपूर्ण तरमीम को दुरूस्त करने का अधिकार धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट के अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किया गया है।**

11. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रुटि को या राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रुटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम ओसाव के मूल मूल ख.नं. 71 रकबा 6–19 बीघा, ख.नं. 553 रकबा 8–10 बीघा व ख.नं. 557 रकबा 3–19 बीघा में दानपत्रो के आधार पर दर्ज किये नामा.सं. 1423, 1425 व 1427 की पंजिका पर बनाये गये खसरा नक्शानुसार भी राजस्व कार्मिको को लटठा नक्शे में तरमीम की जानी चाहिए थी लेकिन प्रार्थी द्वारा पेश वर्तमान आनलाईन नक्शे में दानपत्र के अंकन से भिन्न तरमीम हो रखी है जिसे धारा 131 व 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा तहसीलदार सुनेल की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की कृषि आराजी ख.नं. 1913/71, ख. नं. 1914/553 व ख.नं. 1916/557 के संबंध में [illegible] तथा [illegible] तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट [illegible]यहित स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

12

—::क्रियात्मक आदेश::—

13. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम स्वीकार किया जाता है। ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की कृषि आराजी ख.नं. 1913/71, ख.नं. 1914/553 व ख.नं. 1916/557 के राजस्व नक्शे में दानपत्रो के आधार पर दर्ज किये नामा.सं. 1423, 1425 व 1427 की पंजिका एवं तहसीलदार सुनेल की रिपोर्ट में बनाये गये खसरा नक्शानुसार आनलाईन नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

21/01/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner